न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
21/2021	14/09/2021	

विद्याबाई पुत्री श्री कल्याण पत्नी श्री सुरेश कुमार आयु वर्ष जाती बेरवा निवासी शेरगंज तहसील पीपल्दा हाल मुकाम बीरौंदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जि० कोटा राज
प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री रमेश बैरवा एड0।

प्रार्थना पत्र अन्त धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया कि संयुक्त खाते हुए कब्जे काश्त की कृषि आराजी संवत मुताबिक जमाबंदी ग्राम शेरगंज पटवार हल्का बोरदा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान की खाता संख्या नया 5 पुराना 47 की खसरा नं. 125 की रकबा 1.50 है0, 126 की रकबा 1.15 है0, 164 की रकबा 0.27 है0, 45 की रकबा 0.49 है0, 46 की रकबा 1.77 है0 कुल किता 5 की कुल रकबा 5.18 हेक्टेयर कृषि आराजी स्थित है जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम सुमित्रा पुत्री कल्याण जाति बैरवा निवासी शेरगंज तह0 पीपल्दा जि0 कोटा राज0 हिस्सा 1/18 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम विध्याबाई पुत्री कल्याण के स्थान पर गलत नाम सुमित्राबाई पुत्री कल्याण राजस्व रिकार्ड दर्ज चला आ रहा है, जबकि प्रार्थीया को बचपन से ही विध्याबाई के नाम से ही जाना जाता है। प्रार्थीया के पास राजस्व रिकार्ड के अलावा समस्त रिकार्ड राशनकार्ड ,पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, पहचान पत्र, अन्य रिकार्ड में विध्याबाई के नाम से जाना जाता है, प्रार्थीया के पिता की मृत्यु बाद जरिये फोती नामाकरण/ इंतकाल में हल्का पटवारी द्वारा सहवन से सामान्य प्रचलन के नाम सुमित्राबाई को ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया जिससे प्रार्थीया को राजस्व संबंधित समस्त कार्यों में काफी परेशानियो का सामना उठाना पड़ता है जिससे दुरस्त करवाने का प्रार्थिया अधिकारी है प्रार्थना द्वारा प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील पीपल्दा को प्रार्थना पत्र के माध्यम से कई मर्तबा उक्त नाम त्रुटि को दुरुस्त करने का अनुरोध किया गया, लेकिन अप्रार्थी द्वारा स्पष्ट मना कर दिए जाने प्रार्थीया को मजबूरन न्यायालय की शरण में आकर प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा तथा अप्रार्थी को राजस्व भूमि लैंड होल्डर होने से फॉर्मल पक्षकार बनाया गया है इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं ग्राम पंचायत के सरपंच की तस्दीक तहरीर प्रार्थना पत्र के समर्थन में संलग्न है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र से वर्णित उक्त कृमि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीया के गलत नाम सुमित्रा पुत्री कल्याण के स्थान पर विध्याबाई पुत्री कल्याण दर्ज किए जाने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किए जाने की कृपा करे।

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र रमेश बैरवा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्राथीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। जवाब सरकार मुताबिक जमाबंदी संवत 2076 2079 जमाबंदी 2014 (वर्ष 2019) से स्थाई ग्राम शेरगंज पटवार हल्का बोरदा की खाता संख्या 51 के खसरा नंबर 125 की 1.50 हेक्टर, खसरा नंबर 126 की 1.15 हैकटेयर, 164 की 0.27 हेक्टर,

45 की 0.49 हेक्टर ,46 की 1.77 हेक्टर ,कुल कितना 5 की कुल रकबा 5.18 हेक्टेयर कृषि आराजी में प्रार्थीया का नाम सुमित्रा पुत्री कल्याण जाती बेरवा निवासी शेरगंज हिस्सा 1/18 में नाम दर्ज रिकार्ड है प्रार्थीया का कथन है कि उसका वास्तविक नाम विध्याबाई है इसके स्थान पर उसका गलत नाम सुमित्रा बाई पुत्री कल्याण दर्ज हो रहा है जबकि राजस्व रिकॉर्ड के अलावा प्रार्थीया के सभी दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र ,बैंक रिकॉर्ड, आदि में नाम विध्याबाई दर्ज है। उक्त संबंध में मेरे द्वारा ग्राम शेरगंज के मजमे आम में दिनांक 19/05/25 को उपस्थित होकर जानकारी ली गई जिसमें उपस्थित ग्राम वासियों द्वारा अवगत कराया गया कि सुमित्रा बाई व विध्या बाई दोनों नाम एक ही औरत के हैं जिसे सुमित्रा व विध्या बाई दोनों नाम से जाना जाता है विध्या बाई नाम प्रार्थिया के दस्तावेजों में दर्ज है (जैसे आधार कार्ड ,पहचान पत्र, बैंक दस्तावेज आदि) आम बोलचाल में सुमित्रा नाम से जाना जाता है।

बहस सुनी गई। बहस के कथनों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व जवाव सरकार का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त पाया कि प्रार्थीया के सभी दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र ,बैंक रिकॉर्ड, आदि में नाम विध्याबाई दर्ज है तथा जवाब सरकार के अनुसार ग्राम शेरगंज के मजमे आम में दिनांक 19/05/25 को उपस्थित होकर जानकारी ली गई जिसमें उपस्थित ग्राम वासियों द्वारा अवगत कराया गया कि सुमित्रा बाई व विध्या बाई दोनों नाम एक ही औरत के हैं जिसे सुमित्रा व विध्या बाई दोनों नाम से जाना जाता है विध्या बाई नाम प्रार्थिया के दस्तावेजों में दर्ज है (जैसे आधार कार्ड ,पहचान पत्र, बैंक दस्तावेज आदि) आम बोलचाल में सुमित्रा नाम से जाना जाता है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम शेरगंज पटवार हल्का बोरदा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान की खाता संख्या नया 5 पुराना 47 की खसरा नं. 125 की रकबा 1.50 है0, 126 की रकबा 1.15 है0, 164 की रकबा 0.27 है0, 45 की रकबा 0.49 है0, 46 की रकबा 1.77 है0 कुल किता 5 की कुल रकबा 5.18 हेक्टेयर में प्रार्थिया का नाम सुमित्रा पुत्री कल्याण के स्थान पर विध्याबाई पुत्री कल्याण दर्ज किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा